

चार धाम के नामों के प्रयोग के विरुद्ध सख्त कानून

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखण्ड मंत्रिमंडल ने राज्य के [चार धाम मंदिरों](#) के नाम का उपयोग करने वाले संगठनों या ट्रस्टों के विरुद्ध सख्त कानून लागू करने का निर्णय लिया।

मुख्य बंदि

- अधिकारियों के अनुसार, ऐसे ट्रस्ट और संगठन आम जनता में भ्रम उत्पन्न करते हैं तथा स्थानीय परंपराओं एवं धार्मिक मान्यताओं को भी ठेस पहुंचाते हैं।
- चार धाम मंदिर पुजारी संघ ने भी दलिली में [केदारनाथ मंदिर](#) की प्रतिकृति की आधारशिला रखने के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

चार धाम



- **यमुनोत्री धाम:**
 - स्थान: उत्तरकाशी ज़िला।
 - समर्पति: देवी यमुना को।
 - यमुना नदी भारत में गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे पवित्र नदी है।
- **गंगोत्री धाम:**
 - स्थान: उत्तरकाशी ज़िला।
 - समर्पति: देवी गंगा
 - सभी भारतीय नदियों में सबसे पवित्र मानी जाती है।
- **केदारनाथ धाम:**
 - समर्पति: भगवान शिव
 - मंदाकनी नदी के तट पर स्थित।
 - भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों (भगवान शिव के दैव्य प्रतिनिधित्व) में से एक।
- **बद्रीनाथ धाम:**
 - स्थान: चमोली ज़िला।
 - पवित्र बद्रीनारायण मंदिर का घर।

- **समर्पति:** भगवान वषिणु
- वैष्णवों के लिये पवत्रि तीर्थस्थलों में से एक

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/strict-laws-against-using-char-dham-names>

